सूचना अनुभाग

संख्या- 291 / XXII (1)/2016-1(11)2015

दिनांक : 15 जून, 2016

<u>अधिसूचना/प्रकीर्ण</u>

राज्यपाल उत्तराखण्ड इलेक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता निमयावली 2015 व उक्त नियमावली के प्रथम संशोधन दिनांक 09 फरवरी 2016, द्वितीय संशोधन दिनांक 25 मई 2016 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात

नियम-6 का संशोधन - मूल नियमावली में नियम-6 जो स्तम्भ-1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2 बिन्दु संख्या 06	बिन्दु संख्या 06
सूचीबद्वता के लिए मापदण्ड :-	सूचीबद्वता के लिए मापदण्ड :-
(6)(2) (तेरह) सूचीबद्ध चैनल को विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों को निर्धारित दर पर प्रसारित किये जाने की बाध्यता होगी। यदि चैनल विभाग द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन प्रसारित करने से इन्कार करता है तो उसकी सूचीबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।	-
	6)(2) (चौदह) सूचीबद्वता के लिए उपरोक्त मापदण्डो के कतिपय बिन्दुओ पर मा0 मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री उत्तराखण्ड स्वविवेकके आधार पर शिथिलता प्रदान करते हुए चैनल को सूचीबद्व कर सकते है।

(विनोद शर्मा)
सचिव

<u>संख्या- 291 (1)/ XXII (1)/2016 तद्दिनाक</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमाउ एवं गढवाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
9. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।

(विनोद शर्मा)
सचिव